



राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं० 0141-2744283, फ़ैक्स नं० 0141-2740568, ईमेल आईडी-rsscjaipur@gmail.com

क्रमांक : एफ-2/लेखा/विविध/ 949

दिनांक : 09-09-2020

समस्त अधिकारी/कर्मचारी,
राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद,
जयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21. (निर्धारण वर्ष 2021-22) के लिए आयकर का परिकलन।

आयकर नियमों के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आप द्वारा अर्जित आय पर आयकर की गणना की जाकर आनुपातिक कटौती की जानी है।

आयकर नियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से आयकर की निम्नांकित दो स्लेब लागू है :-

क्र.सं.	कुल आय राशि	पुरानी दर	नई दर
1	रुपये 250000 तक	शून्य	शून्य
2	250001 से 500000 तक	5%	5%
3	500001 से 750000 तक	20%	10%
4	750001 से 1000000 तक	20%	15%
5	1000001 से 1250000 तक	30%	20%
6	1250001 से 1500000 तक	30%	25%
7	1500000 से अधिक	30%	30%

उपरोक्तानुसार आयकर राशि पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा शुल्क (Cess) अतिरिक्त देय होगा। विकल्प का चयन संलग्न प्रोफॉर्म के बिन्दू सं. 6 में अंकित किया जाना है।

जो अधिकारी/कर्मचारी नई दरों से आयकर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं उन्हें मुख्यतः निम्नांकित छूट/कटौती का लाभ नहीं मिलेगा :-

- 1) Standard Deduction (RS. 50000)
- 2) House Rent Allowance (HRA)
- 3) Interest on Housing Loan
- 4) Deduction of Chapter VI-A (Like 80C, 80D, 80DD, 80E, 80G, 80TTA and others)
- 5) Conveyance Allowances
- 6) Child Education Allowances

जो अधिकारी/कर्मचारी नई दरों का विकल्प चुनना चाहे, उन्हें मकान किराये की रसीद, आवास ऋण पर ब्याज राशि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, शिक्ष ऋण पर ब्याज राशि, मेडिकलेम की रसीद, शिक्षण शुल्क, एवं अन्य बचतों की सूचना (प्रोफॉर्मा के बिन्दू संख्या 9 व 10 की सूचना) प्रस्तुत नहीं करनी है।

आयकर में छूट प्राप्त करने हेतु आप द्वारा अपने व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न बचत योजनाओं में विनियोजित की जाने वाली राशि की सूचना एवं अन्य सूचना संलग्न प्रोफॉर्मा में इस विभाग को दिनांक 30.09.2020 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावें।

यदि उक्त सूचना निर्धारित तिथि तक इस विभाग को प्राप्त नहीं होती है तो इस विभाग में उपलब्ध अभिलेखानुसार जो भी राशि आयकर की बनेगी, वह आपके वेतन से काट ली जावेगी। कृपया संलग्न प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम की प्रति आवश्यक रूप से करावें।

संलग्न :- विवरण का प्रारूप


वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : एफ-2/लेखा/विविध/ 950-51

दिनांक : 09-09-2020

प्रतिलिपि :-

- ✓ 1. जन सम्पर्क अधिकारी (परिषद की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु)।
- 2. नोटिस बोर्ड।


वित्तीय सलाहकार

नोट :-

- 1) यदि वेतन से सीधे कटौती में बचत राशि 1.50 लाख रुपये है तो अतिरिक्त स्वनिवेश की राशि दर्शायी जाने का कोई औचित्य नहीं है एवं फॉर्म नं. 16 में भी कोई इन्द्राज नहीं दर्शाया जावेगा।
- 2) यदि वेतन से सीधे कटौती में बचत राशि 1.50 लाख रुपये से कम है तो अतिरिक्त स्वनिवेश राशि एवं अन्य छूट यथ गृह ऋण पर ब्याज, मेडिकलेम पॉलिसी, शिक्षा ऋण पर ब्याज आदि के साक्ष्य (10 फरवरी 2021 तक) प्रस्तुत करने पर ही विनेश की राशि की छूट दी जायेगी एवं फॉर्म नं. 16 जारी किया जावेगा।
- 3) जीवन बीमा प्रीमियम राशि जिसकी कटौती वेतन से की जा रही है उस राशि को दर्शाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण का प्रोफॉर्म

1	पूरा नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर			
2	कार्यालय का पता			
3	PAN NO.			
4	आधार खाता संख्या			
5	आवासीय पता			
6	आयकर हेतु विकल्प (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)	पुरानी दर	नई दर	
7	अन्य आय (जिस पर आयकर काटा जाना है।)			
8	यदि आप किराये के मकान में रह रहे हो तो सदत मासिक किराया आवश्यक रूप से अंकित करें तथा किराये की रसीद भी संलग्न करें। यदि सदत किराये की रकम 1,00,000/- वार्षिक से अधिक है तो मकान मालिक के पेन नम्बर भी अंकित करावें एवं निवास का पता अंकित करें।			
9	अनुज्ञेय बचत जो आप द्वारा विनियोजित की जा रही है-			
(1)	वित्त वर्ष के दौरान वित्तपोषित जीवन बीमा पॉलिसी की संख्या एवं प्रीमियम राशि। (पेंशन जीवन बीमा योजना अलग से स्पष्ट रूप से अंकित करें)			
	LIC/PLI पॉलिसी संख्या	पॉलिसी धारक के सम्बन्ध		वार्षिक रकम
1				
2				
3				
4				
(2)	स्वयं के स्तर पर भवन निर्माण ऋण राशि (प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही यह छूट देय होगी)	संस्था का नाम	मूलधन	ब्याज
(3)	पी0पी0एफ	खाता संख्या	दिनांक	रकम
(4)	शिक्षण शुल्क			
(5)	मेडिकलेम पॉलिसी			
(6)	शिक्षा ऋण पर ब्याज की राशि			
(7)	अन्य बचत			
(8)	विकलांगता की छूट नियमानुसार निर्धारित प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही देय होगी।			

**अधिकारी/कर्मचारी के
हस्ताक्षर**